

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक—332/तीन-13-2/1987

दमोह, दिनांक 13 अगस्त, 2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक सी/2973 जबलपुर दिनांक 22.04.2025 के साथ संलग्न मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.04.2025 के अनुसार राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूलवेतन के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता की पात्रता का निर्धारण किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील है, जिसके अनुसार 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवकों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 05 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाना है, जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील मुख्यालय हटा, पथरिया एवं तेन्दूखेड़ा की नगरीय जनसंख्या 03 लाख से कम होने के कारण जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में कार्यरत कॉलम क्र. 2 में उल्लेखित शासकीय सेवकों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार कॉलम क्र. 5 उल्लेखित देय मूल वेतन का 05 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता की दर से, कॉलम क्रमांक 06 में दर्शित राशि एवं अंकित देय दिनांक से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है:-

क	कर्मचारी का नाम	आवेदन प्रस्तुत दिनांक	आवास का प्रकार	मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-4-1/2025 नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.04.2025 के अनुसार	प्रतिमाह स्वीकृत म.कि.भत्ता	देय दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री विवेक अहिरवार, निज सहायक, दमोह	13.06.2025	फार्म-ए (किराये का आवास)	42000/- 42000 x 5% = 2100	2100	13.06.2025
2	श्री भक्ति पांचे, स्टेनो ग्रेड-3 दमोह	26.06.2025	फार्म-ए (किराये का आवास)	29400/- 29400 x 5% = 1470	1470	26.06.2025
3	श्री पवन गुडारे, सहायक ग्रेड-3 दमोह	15.05.2025	फार्म-ए (किराये का आवास)	23300/- 23300x 5% = 1165	1165	15.05.2025
4	श्री हर्ष ठाकुर, सहायक ग्रेड-3 दमोह	04.07.2025	फार्म-ए (किराये का आवास)	24000/- 24000x 5% = 1200	1200	04.07.2025
5	श्री प्रदीप यादव सहायक ग्रेड-3 दमोह	21.07.2025	फार्म-ए (किराये का आवास)	25400/- 25400x 5% = 1270	1270	21.07.2025

-Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

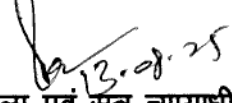
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

पृष्ठां.क्र. 2847 / तीन-13-2 / 1987

दमोह, दिनांक 13 अगस्त 2025

प्रतिलिपि :-

1. जिला कोषालय अधिकारी, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कर्मचारी की ओर ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
3. लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)